इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 226] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 जून 2019—ज्येष्ठ 17, शक 1941

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जून 2019

क्र. एफ-1 (बी) 40-2017-बी-4-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक अभियोजन (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1991 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में—

1. नियम 12 में, उप नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप नियम जोड़े जाएं, अर्थात्:—

"(4) सफल अर्ह अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची के प्रकाशन के पश्चात्, सूची आगामी वर्ष तक प्रवृत्त होगी:

परंतु राज्य सरकार, आयोग से परामर्श के पश्चात् चयन सूची की विधिमान्यता आगामी छह माह के लिए बढ़ा सकेगी.

(5) समान पद के लिए नवीन चयन सूची के प्रकाशन के पश्चात्, विगत चयन सूची की विधिमान्यता नहीं बढ़ाई जाएगी.".

2. यह संशोधन "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

No. F-1(B) 40-2017-B-4-II.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Public Prosecution (Gazetted) Services Recruitment Rules, 1991, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In rule 12, after sub-rule (3), the following sub-rules shall be added, namely:—

"(4) after the publication of final selection list of successful qualified candidates, the list shall remain in force till next year:

Provided that the State Government may extend the validity of selection list for another six months after the consultation with the Commission.

(5) after publication of new selection list for the same post, the validity of previous selection list shall not be extended.''.

2. This amendment shall come into force from the date of it's publication in "Madhya Pradesh Gazette''.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. जामोद, अतिरिक्त सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.